

विज्ञापन का प्रारूप

झारखण्ड शिक्षा परियोजना जिला कार्यालय, गिरिडीह

विज्ञापन संख्या:- 01/2023 दि. 14/10/2023

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालय, अजीडीह, गिरिडीह में चयन हेतु आवश्यक सूचना

1. विभागीय आदेश संख्या RS/15/01/2022-23/2863 दिनांक 10.10.2023 के आलोक में जिला में संचालित नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालय में पूर्णतया अस्थायी एवं अल्पकालीन संविदा के आधार पर चयन हेतु योग्य एवं अहर्ताधारी महिला/ पुरुष अभ्यर्थियों से निम्न अंकित शर्तों के अधीन शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक रिक्त पदों के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन दिनांक 16/10/2023 के पूर्वाह्नसे 06/11/2023 के अपराह्न 05 बजे तक ऑन लाईन आवेदन के पश्चात किये गये आवेदन की प्रिंट आउट की प्रति निबंधित डाक के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, समग्र शिक्षा कार्यालय, गिरिडीह नया समाहरणालय भवन, तृतीय तल्ला, पपरवाटांड, गिरिडीह में आमंत्रित किए जाते हैं।
- नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालय, अजीडीह, गिरिडीह हेतु निम्नवत् पदों पर संविदा पर चयन किया जाना है :-

Sl. No.	Name of Post	Vacancy	Roster					Total
			UR	BC-I	BC-II	SC	ST	
1	पूर्णकालिक शिक्षक/ शिक्षिका हिन्दी (भाषा)	1	1	0	0	0	0	1
2	पूर्णकालिक शिक्षक/ शिक्षिका अंग्रेजी (भाषा)	1	1	0	0	0	0	1
3	पूर्णकालिक शिक्षक/ शिक्षिका, (गणित)	1	1	0	0	0	0	1
4	पूर्णकालिक शिक्षक/ शिक्षिका, विज्ञान (विषय समूह- जीव विज्ञान एवं रसायन विज्ञान)	1	1	0	0	0	0	1
5	पूर्णकालिक शिक्षक/ शिक्षिका, विज्ञान (विषय समूह- भौतिकी विज्ञान एवं गणित)	1	1	0	0	0	0	1
6	पूर्णकालिक शिक्षक/ शिक्षिका (शारीरिक शिक्षा)	1	1	0	0	0	0	1
7	पूर्णकालिक शिक्षक/ शिक्षिका (कम्प्यूटर)	1	1	0	0	0	0	1
8	सपोर्ट स्टाफ (आदेशपाल -1)	1	0	1	0	0	0	1
9	सहायक रसोईया	3	2	1	0	0	0	3

✱

2. चयन हेतु अहर्ता एवं निर्धारित परिलब्धि -

क्र. सं.	पदनाम	वांछित अहर्ता	देय परिलब्धि
1	पूर्णकालिक शिक्षक/ शिक्षिका हिन्दी (भाषा)	1. शैक्षणिक अहर्ता :- किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से संबंधित विषय (जिस विषय की पूर्णकालिक शिक्षिका यथा क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5 एवं 6 पर अंकित पदों हेतु आवेदन किया जा रहा हो) में संबंधित विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक के साथ स्नातक की अहर्ता अनिवार्य है। क्र. सं. 7 से 8 में अंकित पदों हेतु किसी भी विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक के साथ स्नातक हो सकते हैं। अनुसूचित जाति/जनजाति एवं विकलांग कोटि के अभ्यर्थियों को इस नियम में उपरोक्त वर्णित न्यूनतम प्राप्तांक में 05 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। चयन में उच्चतर शैक्षणिक योग्यता, प्राप्तांक को प्राथमिकता दी जाएगी।	1. शिक्षिकाओं का चयन संविदा के आधार पर नियत परिलब्धि रु. 15,840/- प्रतिमाह देय होगी। 2. संविदा विस्तार की स्थिति में 250 रु. की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रतिवर्ष प्रदान की जायेगी।
2	पूर्णकालिक शिक्षक/ शिक्षिका अंग्रेजी (भाषा)	कम्प्यूटर शिक्षक/शिक्षिका के लिए न्यूनतम अहर्ता BCA/BSc. in Computer Science/Any Graduate with 2 years diploma in computer science from recognized institute of AICTE होगी।	
3	पूर्णकालिक शिक्षक/ शिक्षिका, (गणित)	2. प्रशैक्षणिक अहर्ता :- मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से बी.एड. अथवा समकक्ष परीक्षा यथा प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा में शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा में उत्तीर्णता। शारीरिक शिक्षिका के लिये Bachelor in Physical Education/ Degree in physical education अनिवार्य होगा।	
4	पूर्णकालिक शिक्षक/ शिक्षिका, विज्ञान (विषय समूह- जीव विज्ञान एवं रसायन विज्ञान)	3. शिक्षक पात्रता परीक्षा :- i. राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) के द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन पूर्णकालिक शिक्षक/ शिक्षिका हिन्दी भाषा, गणित, जीव विज्ञान एवं रसायन एवं सामाजिक शिक्षा के पदों को कक्षा 1 से 8 हेतु वर्गीकृत किया गया है। अतः इन पदों के लिए अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) में उत्तीर्ण रहना अनिवार्य होगा।	
5	पूर्णकालिक शिक्षक/ शिक्षिका, विज्ञान (विषय समूह- भौतिकी विज्ञान एवं रसायन विज्ञान)	ii. कक्षा 9 से 10 हेतु वर्गीकृत किए गए पद यथा- पूर्णकालिक	
6	पूर्णकालिक शिक्षक/ शिक्षिका (शारीरिक शिक्षा)		
7	पूर्णकालिक शिक्षक/ शिक्षिका (कम्प्यूटर)		

क्र. सं.	पदनाम	वांछित अहर्ता	देय परिलब्धि
		<p>शिक्षक/ शिक्षिका विज्ञान विषय समूह (भौतिकी एवं गणित), पूर्णकालिक शिक्षक/ शिक्षिका अंग्रेजी के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) उत्तीर्णता की आवश्यकता अनिवार्य नहीं होगी।</p> <p>iii. पूर्णकालिक शिक्षक/ शिक्षिका कम्प्यूटर तथा शारीरिक शिक्षक/ शिक्षिका के पद हेतु JTET की उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी।</p> <p>4. शिक्षक/ शिक्षिकाओं की नियुक्ति एवं परिलब्धि :- शिक्षक/ शिक्षिकाओं का चयन संविदा के आधार पर किया जाएगा तथा उन्हें निर्धारित परिलब्धि प्रदान की जाएगी।</p> <p>5. शिक्षक/ शिक्षिकाओं के पद पर चयन हेतु प्राप्त अभ्यावेदनों में से सर्वाधिक योग्यता एवं प्राप्तांक वाले अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार की जाएगी। प्रत्येक पद के लिए 5 अभ्यर्थियों को अंतर्वीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा तथा उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार चयन समिति के द्वारा मेधा सूची का निर्माण कर मेधा के अनुसार चयन किया जाएगा।</p>	
8	सपोर्ट स्टाफ	शैक्षणिक अहर्ता - मैट्रिक	<p>1. संविदा के आधार पर नियत परिलब्धि रु. 6000/- प्रतिमाह देय होगी।</p> <p>2. संविदा विस्तार की स्थिति में 150 रु. की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रतिवर्ष प्रदान की जायेगी।</p>
9	सहायक रसोईया	शैक्षणिक अहर्ता - 8वीं पास	<p>1. संविदा के आधार पर नियत परिलब्धि रु. 5400/- प्रतिमाह देय होगी।</p> <p>2. संविदा विस्तार की स्थिति में 150 रु. की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रतिवर्ष प्रदान की जायेगी।</p>

3. चयन संबंधी दिशा-निदेश एवं अनुबंध आधारित अन्य निर्धारित शर्तें निम्नवत हैं :-

- नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालय अजीडीह, गिरिडीह में चयन हेतु निर्धारित अहर्ता रखने वाले अभ्यर्थियों को राज्य कार्यकारिणी की 52वीं एवं 65वीं बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में चयन में प्राथमिकता दी जाएगी जिसके आलोक में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालयों के.जी.बी.भी./ जे.बी.ए. भी./ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान/ साक्षर भारत/महिला समाख्या में कार्य करने का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को उच्च सीमा में उपरोक्त कार्यक्रमों के अधीन पद की कार्यावधि के समतुल्य छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ शैक्षणिक अहर्ता में न्यूनतम 05 प्रतिशत की छूट 10 वर्ष की सेवा झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित कार्यक्रमों किए जाने की स्थिति में प्रदान की जाएगी। इन कर्मियों को राज्य कार्यकारिणी के निर्णय के आलोक में चयन में प्राथमिकता हेतु कार्यरत शिक्षक/ शिक्षिकाओं एवं गैर-शैक्षणिक पदों पर कार्यरत अभ्यर्थियों के समरूप पदों पर ही एक वर्ष के कार्यकाल के 01 वर्ष के आधार पर कुल कार्यकाल की गणना कर परीक्षा में प्राप्त अंक में अतिरिक्त अंक जोड़ा जाएगा।
- चयनित होने वाले शिक्षिका एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की सेवा अनुबंध के आधार पर प्रथमतया एक वर्ष के लिए ली जाएगी तथा कार्य संतोषप्रद होने की स्थिति में एक-एक वर्ष के लिए अवधि विस्तारित किया जा सकेगा। शिक्षक/शिक्षिकाओं एवं अन्य गैर शैक्षणिक कर्मियों के कार्य संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर संविदा की समाप्ति का निर्णय लेने हेतु भी जिला स्तरीय चयन समिति सक्षम अधिकार होगी।
- सभी पदों के चयन में जिला स्तरीय आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा। चयन में कार्मिक, प्रशासनिक तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्गत नियुक्ति हेतु जिला स्तरीय आरक्षण के नियम का पालन किया जाएगा।
- सभी शिक्षक/ शिक्षिकाओं एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को आवासीय परिसर में रहना अनिवार्य होगा।

4. आयु सीमा :-

- चयन हेतु अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होगी।
- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के ज्ञापांक संख्या 29 दिनांक 04.01.2021 झारखण्ड सरकार के आलोक में कोटिवार अधिकतम उम्र सीमा निम्नवत् होगी :-

Sl.No.	Category	Maximum age limit
1	Unreserved Category	35
2	Female (All category - UR/EWS/BC-I/BC-II)	38
3	Extremely Backward classes (Annexure I)/ Backward Classes (Annexure II)	37
4	SC/ ST (Male and Female)	40
5	Person with bench mark disability (PwBD)	A relaxation of 10 years in their respective category.

- अनुभवी महिला Ex-Servicemen को अपनी कोटि में 05 वर्ष तक उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जायेगी
- उपरोक्त कंडिका-4 (i एवं ii) के अधीन नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालय में पूर्व से दैनिक मानदेय पर अंशकालीन/ पूर्णकालीन रूप से कार्यरत अभ्यर्थी को भी उनके प्रत्येक कार्य वर्ष हेतु एक वर्ष की उम्र सीमा में छूट देय होगी।

v. उच्च की गणना आवेदन करने के वर्ष 01.07.2023 के आधार पर की जायेगी।

5. आवेदन करने की प्रक्रिया:-

- i. आवेदन ऑनलाईन भरा जाएगा। ऑनलाईन आवेदन NIC गिरिडीह के वेबसाईट पर जाकर भरा जा सकता है। अंतिम तिथि के बाद आवेदन पत्रों पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जायेगा।

ऑनलाईन आवेदन प्रारंभ की तिथि	16/10/2023 से 06/11/2023
ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि	
निबंधित डाक द्वारा ऑनलाईन आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र एवं अनुभव प्रमाण पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रति जमा करने की अंतिम तिथि-	14/11/2023
पता- जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, समग्र शिक्षा, समाहरणालय भवन तृतीय तल्ला पपरवाटांड, गिरिडीह	

ii. चयन हेतु विस्तृत विज्ञापन एवं आवेदन प्रपत्र का प्रारूप जिले के अधिकारिक वेबसाईट <https://Giridih.nic.in> पर एवं झारखण्ड शिक्षा परियोजना, गिरिडीह कार्यालय के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।


iii. चयन के संबंध में अद्यतन जानकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम पदाधिकारी झारखण्ड शिक्षा परियोजना गिरिडीह अथवा जिले के उपरोक्त अंकित अधिकारिक वेबसाईट पर देखी जा सकती है। अभ्यर्थी का दायित्व होगा कि वे नियमित रूप से अवलोकन करते हुए चयन संबंधी जानकारी प्राप्त करें।

6. प्रकाशित विज्ञापन की प्रति जिसमें चयन की शर्तें, अहर्ता एवं कोटिवार रिक्तियों की स्थिति तथा आवेदन हेतु विहित प्रपत्र एवं अन्य दिशा-निदेश जिला के अधिकारिक वेबसाईट giridih.nic.in पर उपलब्ध है। चयन से संबंधित सभी दिशा-निदेश उपरोक्त वर्णित वेबसाईट पर उपलब्ध रहेंगे तथा अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि वे समय-समय पर जानकारी हेतु वेबसाईट का अवलोकन करते रहेंगे। उपरोक्त जानकारी संबंधित जिलों के NIC के अधिकारिक वेबसाईट पर भी अवलोकन हेतु उपलब्ध रहेगी।
7. नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालय एक आवासीय विद्यालय है, अतः चयनित अभ्यर्थी को विद्यालय में रहना अनिवार्य होगा।
8. अभ्यर्थियों का चयन संबंधित जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के द्वारा किया जाएगा। चयन समिति का इस हेतु निर्णय अंतिम माना जाएगा।
9. अपरिहार्य कारणों से चयन प्रक्रिया किसी भी समय स्थगित/रद्द करने का अधिकार राज्य परियोजना निदेशक, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची अथवा उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी, झारखण्ड शिक्षा परियोजना, गिरिडीह को सुरक्षित रहेगा।
10. आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से आवेदन के लिफाफा के ऊपर लाल रंग से मोटे अक्षर आवेदित पद का नाम एवं कोटि अंकित करना होगा। अन्यथा आवेदन अस्वीकार करने की स्थिति में वे स्वयं जवाबदेह होंगे।
11. अपूर्ण एवं अहस्ताक्षरित आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
12. साधारण डाक से प्राप्त आवेदन पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जायेगा।


+

13. आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले अनुलग्नक :-

- 23 x 10 से.मी. का स्वःपता लिखा हुआ दो लिफाफा ।
- सभी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक शिक्षक पात्रता परीक्षा तथा अन्य स्वःअभिप्रमाणित प्रमाण पत्रों की छाया प्रति संलग्न की जाए ।
- आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु जाति प्रमाण पत्र (झारखण्ड राज्य के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत) स्वःअभिप्रमाणित छाया प्रति।
- झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत नियोजन हेतु आवासीय प्रमाण पत्र की स्वःअभिप्रमाणित छाया प्रति।


12/10/2023

जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
गिरिडीह



उपायुक्त-सह-अध्यक्ष
गिरिडीह।